Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अजमेर में पंजीयन लिपिक एवं स्टाम्प वेण्डर (प्राइवेट व्यक्ति) 24 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, 11 जनवरी, गुरूवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर की स्पेशल यूनिट द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये राकेश शर्मा, पंजीयन लिपिक, तहसील कार्यालय अंराई, अजमेर एवं श्री अजीत पाल सिंह, स्टाम्प वेण्डर (प्राइवेट व्यक्ति) अंराई जिला अजमेर को परिवादी से 24 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर स्पेशल यूनिट को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी के नाम रजिस्ट्री एवं हकत्याग करवाने की एवज में आरोपी राकेश शर्मा पंजीयन लिपिक, तहसील कार्यालय अंराई, अजमेर एवं श्री अजीत पाल सिंह स्टाम्प वेण्डर (प्राइवेट व्यक्ति) अंराई जिला अजमेर द्वारा 25 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के निर्देशन में एसीबी की अजमेर स्पेशल यूनिट के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राकेश कुमार वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राकेश शर्मा पुत्र श्री माधा राम जाति ब्राह्मण, निवासी 12 ब्राह्मणो का मोहल्ला, ग्रांम दल्लूसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू हाल पंजीयन लिपिक, तहसील कार्यालय अंराई, अजमेर एवं श्री अजीत पाल सिंह पुत्र श्री शिवनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी म.न. 82, पण्डित फतेह लाल नगर, मदन गंज किशनगढ जिला अजमेर हाल स्टाम्प वेण्डर (प्राइवेट व्यक्ति) मालपुरा रोड अंराई जिला अजमेर को परिवादी से 24 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के निर्देशन में आरोपीयों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।